

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-मथुरा।

पत्र सं०:-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/मैनपुरी-मथुरा/2019-20/ 4529 दिनांक 26-08-19
विषय- दिनांक 17 से 19 जुलाई 2019 तक राज्य स्तरीय दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की
आख्या प्रेषण।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०
/एन०एच०एम०/एम०एण्डई०/2018-19/04/2323-4 दिनांक 20.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों का भ्रमण
कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु
निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 17.07.2019 से 19.07.2019 जनपद मथुरा में
चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है। भ्रमण
के दौरान संज्ञान में आयी कमियों पर सुधार हेतु भ्रमण आख्या में आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या
संलग्न) है।

आपसे अनुरोध है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए
01 सप्ताह में अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र सं०:-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/मैनपुरी-मथुरा/2019-20/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद, मथुरा।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम
से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का
कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, मण्डल आगरा।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मण्डल आगरा।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि पत्र के साथ
संलग्न आख्या का अनुपालन करा कर ससमय अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना
सुनिश्चित करें।

(डा० ताविंदा खाजा)

उप महाप्रबन्धक, डी०एच०एस०।

जनपद-मथुरा

भ्रमण अवधि दिनांक

- : 17.07.2019 से 19.05.2019

भ्रमण टीम के सदस्य

-:

1. श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी, कन्सलटेन्ट, आई०ई०सी० एन०एच०एम०।
2. श्री संजय कुमार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एन०पी०-सी०डी०, एन०एच०एम०।

जनपद मथुरा भ्रमण का संक्षेप विवरण। -:

- ❖ भ्रमण पूर्व बैठक (जिलाधिकारी मथुरा।)
- ❖ ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, नगला जामुन, विकास खण्ड- मांठ, मथुरा।
- ❖ 100 शय्या चिकित्सालय, वृन्दावन, मथुरा।
- ❖ सी०एच०सी० बलदेव, मथुरा।
- ❖ हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, राया, मथुरा।
- ❖ डी-ब्रीफिंग बैठक (जिलाधिकारी कार्यालय)

सी०एच०सी०, बलदेव, मथुरा।

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	RNTCP के अन्तर्गत संदिग्ध मरीजों की Tuberculosis की जाँच के लिए संकलित Sputum को जाँच के उपरान्त कूड़ेदान में Disinfected किये बिना डिस्कार्ड किया जा रहा है। जो अत्यन्त ही जोखिम पूर्ण है।	5 % Phenol Solution में नियमानुसार डिस्कार्ड किया जाना चाहिए।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / एस०टी०एल०एस० / लैब टेक्नीशियन
2	RNTCP STS द्वारा अवगत कराया गया कि Tuberculosis के लगभग 10 नये मरीजों के बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं है।	शीघ्र अति शीघ्र खाता संख्या एवं आधार संख्या प्राप्त कर लाभार्थियों को डी०बी०टी० से लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।	एस०टी०एस० - आर०एन०टी०सी०पी
3	फॉर्मसिस्ट के कक्ष के बाहर प्रिंट की ई०डी०एल० फैंसिलिटी ब्राडिंग के नियमानुसार नहीं है।	नियमानुसार प्रिन्टिड चेकलिस्ट छपवा कर उपलब्ध कराये जिससे सत्र में सम्पादित गतिविधियों की रिपोर्टिंग की जा सकें।	एम०ओ०आई०सी० / बी०पी०एम०
4	आर०बी०एस०के० का एक दल (Team) आज क्षेत्र भ्रमण पर नहीं गया है।		
5	वी०एच०एन०डी० सत्र की रिपोर्टिंग चेकलिस्ट उपलब्ध नहीं है। सी०एच०सी० पर भी उपलब्ध नहीं है।		
7	4 कन्डम एम्ब्यूलेस सी०एच०सी० पर खड़ी है जिसमें से एक एम्ब्यूलेन्स के द्वारा 18.05. 2019 को मरीज को ट्रांसपोर्ट किया गया है। जबकी एम्ब्यूलेन्स में कोई भी आवश्यक चिकित्सीय उपकरण या औषधि उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है।	मरीज के लिए जोखिमपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए सभी एम्ब्यूलेन्सों में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण, औषधियाँ, ऑक्सीजन उपलब्ध कराये तथा एम्ब्यूलेन्सों की मरम्मत भी कराये।	नोडल अधिकारी ई०एम०टी०एस०

8	IDSP कार्यक्रम के अन्तर्गत भरे जाने वाले रिपोर्टिंग फॉर्मेट P, S, L पर रिपोर्टिंग का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
9	बी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि IDSP कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 रिपोर्टिंग यूनिट है। जिसमें से 8 यूनिट ने रिपोर्ट नहीं किया है। किस यूनिट द्वारा रिपोर्ट किया गया है या किसी यूनिट द्वारा नहीं किया गया है। इसका कोई रिकार्ड चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।	जिला सर्विलांस अधिकारी कृपया कार्यक्रम की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला सविलांस अधिकारी।
10	RNTCP के अन्तर्गत कार्यरत एस०टी०एस० को Public Privat स्कीम के अन्तर्गत Doctor & Chemist को दिये जाने वाले Incentive की जानकारी नहीं है।	प्राइवेट डाक्टर या केमिस्ट को प्रति प्रत्येक मरीज के पंजीकरण पर रू० 500 /- तथा उपचार सम्पन्न होने के उपरान्त रू० 500 /- प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।	एम०ओ०आई०सी० / एस०टी०एस०
6	ब्लाक एलोकेशन के सापेक्ष व्यय उपलब्ध कराने पर बैंम द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लाक एलोकेशन अभी तक जनपद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण एफ०एम०आर वार व्यय की समीक्षा नहीं की जा सकी।	डैम-मथुरा तत्काल डैप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	डी०पी०एम० / डैम
	कैशबुक 30 जून तक ही अपडेट है।		
	पी०एफ०एम०एस०-पी०पी०ए० पर नम्बरिंग नहीं की गयी है।		
	वाउचरों को सीरियल से नहीं लगाया गया है।		
	एसेट्स पर नम्बरिंग नहीं हो रही है।		
	जे०एस०एस०के० डाइट के भुगतान के बिलों पर पेड एण्ड केन्सिल की मोहर नहीं लगी है। किसी किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित या हस्ताक्षरित भी नहीं है।	सभी भुगतान एवं बिलों/अभिलेखों का रखरखाव वित्तीय नियमानुसार किया जाना चाहिए	एम०ओ०आई०सी० / बी०पी०एम०
	आर०बी०एस०के० वाहनों के बिलों पर पेड एण्ड केन्सिल की मोहर नहीं लगी है। किसी किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित या हस्ताक्षरित भी नहीं है।		
	चेक इश्यू रजिस्टर/पी०एफ०एम०एस० पी०पी०ए० रजिस्टर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये।		
	Know your Payment से चेक करने पर संज्ञान में आया है कि पोलियों बूथ पर होने	बी०पी०एम० एवं बैंम को अवगत कराया गया कि इस प्रकार के भुगतान	एम०ओ०आई०सी० / बी०पी०एम०

बाले व्यय का भुगतान बी०पी०एम० को किया गया है।	नियमानुसार सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में किया जाना है।	
जे०एस०एस०के० डाईट का रजिस्टर भी निर्धारित प्रारूप रजिस्टर नहीं था। सादा रजिस्टर पर दैनिक इण्ट्री की जा रही है।	कृपया एम०एच० के नियमानुसार प्रिन्टिड रजिस्टर पर विवरण अंकन किया जाये। इस हेतु प्रिन्टिड रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	एम०ओ०आई०सी० / बी०पी०एम०

100 शय्या चिकित्सालय, वृन्दावन, मथुरा।

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	अस्पताल में समस्त सेवाएं सुचारु रूप से दी जा रही हैं।	डिलीवरी रूम हेतु प्रिन्टिड रजिस्टर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया	सी०एम०एस०
2.	डिलीवरी रूम में प्रिन्टिड रजिस्टर नहीं है।		
3.	फैमिली वेलफेयर कान्सलर का पद रिक्त है।		
4.	अस्पताल में भर्ती मरीजों द्वारा अवगत कराया गया कि 102 एम्ब्यूलेन्स नहीं आ रही है। (मरीज लक्ष्मी देवी पत्नि श्री राजेन्द्र, चेतन विहार, वृन्दावन-7088132417	एम्ब्यूलेन्स की उपलब्धता हेतु सम्बन्धित कम्पनी से सम्पर्क कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाने चाहिए।	नोडल अधिकारी

वी०एच०एन०डी० सत्र, ग्राम-नंगला जामुन, ब्लाक-मांठ, मथुरा।

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	आशा द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ लाभार्थियों ने किसी प्रकार का टीकाकरण कराने से इन्कार कर दिया है।	आर०आई० अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। पात्र लाभार्थियों को प्रेरित कर शतप्रतिशत टीकाकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।	एम०ओ०आई०सी० / बी०सी०पी०एम
2.	आशा एवं - ए०एन०एम० को आर०के०एस०के० तथा Peer Educator की ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है।		एम०ओ०आई०सी० / बी०सी०पी०एम
3.	ड्यू लिस्ट के अनुसार 75 प्रतिशत लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं हो पाया है।		एम०ओ०आई०सी० / बी०सी०पी०एम
4.	सेनेटरी नेपकिन, एम०यू०ए०सी० टैप, नमक में आयोडीन टेस्टिंग के लिए एम०बी०आई० किट उपलब्ध नहीं है।	आवश्यक वस्तुओं एवं उपकरणों की आपूर्ति ससमय की जानी चाहिए।	एम०ओ०आई०सी० / बी०सी०पी०एम

हेल्थ एण्ड वेल्नेस सेंटर, राया, मथुरा।

क्र० सं०	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	हेल्थ एण्ड वेल्नेस सेंटर की फ़ैसिलिटी बाडिंग केन्द्र के सामने से अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रही है। परन्तु केम्पस के अन्दर मुख्य भवन के किनारे एवं पीछे अनगिनत सुअर लेटे हुए हैं तथा गंदगी का अम्बार लगा हुआ है। जबकी वर्तमान में संचारी रोग पखवाडा जनपद में संचालित है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ये प्रकरण जिला एवं नगर प्रशासन के संज्ञान में है। परन्तु कोई कार्यवाही की गयी।	परिसर में साफ सफाई रखने तथा अवांछित तत्वों को चिकित्सालय परिसर से बाहर किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।	जिलाधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
2	लेबर रूम में रखे डी०पी०आर० रजिस्टर की रिक्तियां एम्बुलेन्स के ई०एम०टी० द्वारा भरी जा रही। इस प्रकार ई०एम०टी० मनमानी ढंग से रजिस्टर पर विवरण भरा जा रहा है।	नियमानुसार डिलीवरी रूम के स्टाफ उक्त रजिस्टर की रिक्तियाँ भी जानी चाहिए।	चिकित्सा अधिकारी / लेबर रूम इन्चार्ज
3	कैलिस पैड पंचर है		
4	रसोईया शारीरिक रूम से अत्यन्त दुर्बल है। शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसकी चिकित्सीय जाँच कराया जाना चाहिए।	नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।	एम०ओ०आई०सी० / बी०पी०एम०

 16.8.19

(श्री संजय कुमार),
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय
कार्यक्रम, संक्रामक रोग,
एन०एच०एम०।



(अरविंद कुमार त्रिपाठी),
टेक्निकल कन्सलटेन्ट,
आई०ई०सी०,
एन०एच०एम०।